"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2005—भाद्र 11, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं संचा. बजट तथा संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) संचालक, खनिज तथा संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2005

क्रमांक 4765/एफ-1-5/2000/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (क) एवं उपधारा 14 (8) में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 25-7-2005 को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संयोजित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा मो. सलीम अशरफी को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी एतद्द्वारा घोषणा की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह , विशेष सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

फा. क्र. 6667/1805/एक्ट्रोसिटी/21-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री व्ही. एस. गुप्ता, रायपुर को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-8-2006 तक के लिये होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 1/सी/एक्ट्रोसिट/21-ब/दो दिनांक 25-6-1999 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष 2025-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण-01-अनुसूचित जाति अन्य व्यय-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना-5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना-23-अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तरे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक एफ/2-26/2002/एम.—जिला दुर्ग एवं राजनांदगांव के अंतर्गत खनिज हीरा एवं अन्य सहयोगी खनिजों के अन्वेषण हेतु 1975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रास्पेक्टिंग प्रा. लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 14-1-2003 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम.सी.आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से अनुसूची-एक में उल्लिखित 1460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का त्याग (Relinquish) किया है.

अनुसूची-एक
(टोपोशीट क्र. 64 सी/16, डी/13 एवं 14, जी/4 तथा 64 एच/1 एवं 2 के भाग)

सरल क्रमांक (1)	बिन्दु (2)	देशांश (3)	अक्षांश (4)
1.	P	80°54'11"	20°06'37"
2.	Q	81°12'56"	20°59'48"
3.	Z2	81°12'51"	20°46'26"
4.	Z1	81°07'09"	20°46'26"
5.	Z	81°07'09"	20°44'18"
6.	Y	81°06'08"	20°44'18"
7.	X	81°06'08"	20°42'40"
8.	W	81°04'37"	20°42'40"
9.	V	81°04'37"	20°35'28"
10.	U	81°02'21"	20°35'28"
11.	T	81°02'21"	20°30'37"
12.	F	80°55'05"	20°31'15"
13.	S	80°56'00"	20°40'05"
14.	R	80°54'05"	20°40'05"

3. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1)(ii) के अंतर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

विषय :—सौर विद्युत संयंत्रों का नियमित रखरखाव व संचालन

क्रमांक 2325/ऊ.वि./अपारं.ऊ./2005.—छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्रामों में आपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित संयंत्रों के नियमित रख-रखाव एवं संचालन व संधारण सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करता है :—

(1) क्रेडा द्वारा स्थापित किये जाने वाले सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण संयंत्रों के नियमित रख-रखाव व संचालन का कार्य क्रेडा द्वारा किया जावेगा. उक्त संयंत्रों की वारंटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् संयंत्रों के संधारण का दायित्व क्रेडा का होगा. इन संयंत्रों का संचालन व संधारण सुनिश्चित करने हेतु क्रेडा में प्रधान कार्यालय स्तर पर एक संचालन एवं संधारण सेल का गठन किया जाएगा, जो संयंत्रों के नियमित संचालन व संधारण हेतु उत्तरदायी होगी.

(2) सौर फोटोवोल्टेइक संयंत्र के नियमित व पूर्ण क्षमता के साथ संचालन के लिये फील्ड कार्यकर्त्ता एवं अर्थ संसाधनों की व्यवस्था क्रेडा द्वारा की जावेगी. इस हेतु हितग्राहियों से क्रेडा या क्रेडा के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाएगा :—

1. उपभोग	-	घरेलू	रुपए 30/- प्रतिमाह
		व्यावसायिक	रुपए 60/- प्रतिमाह
2. कनेक्शन हेतु आवेदन शुल्क (प्रथम बार)	-	गरीबी रेखा के नीचे	रुपए 100/- प्रतिमाह
		सामान्य	रुपए 200/- प्रतिमाह
		शास./अर्द्ध शास./ व्यावसायिक	रुपए 500/- प्रतिमाह

विद्युत उत्पादन संयंत्र, पथ प्रकाश संयंत्र, बैटरी रख-रखाव एवं कन्ट्रोल यूनिट की मरम्मत के लिये आवश्यक व्यय क्रेडा द्वारा किया जाएगा. संयंत्रों के रख-रखाव में होने वाले आकस्मिक व्यय, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राम में एकत्रित होने वाले राजस्व से संभव न हो (जैसे समस्त बैटरियों को बदलना, पैनल बदलना आदि), की पूर्ति क्रेडा के वार्षिक बजट से की जायेगी. संयंत्रों के रख-रखाव के लिये क्रेडा के वार्षिक बजट में पृथक से प्रावधान किया जाएगा.

(3) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण विद्युत संयंत्रों के संचालन/संधारण हेतु क्रेडा को ग्रामीण विद्युतीकरण मद में उपलब्ध बजट में से स्थापना लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से राशि विमुक्त की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक /2350/डी-15/116/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की

में उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना/308/डी-15/116/03-04/14-3 दिनांक 13-5-2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

अंक 2005 के स्थान पर अंक 2006 स्थापित किया जाए.

Raipur, the 3rd August 2005

No./2350/D-15/116/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby makes the following amendment in the Department Notification 308/D-15/116/2003-04/14-3 dated 13-5-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said notification :—

For the figure 2005, the figure 2006 shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक /2352/डी-15/116/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहनों और गेहूं पर 01 अप्रैल 2004 से 31-3-2006 तक की कालावधि के लिये मंडी शुल्क से (उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन) छूट प्रदान करती है.

Raipur, the 3rd August 2005

No./2352/D-15/116/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby exempts, from the Market Fees (Under sub-section (1) of section 19 of said Act) on the pulses and wheat which are brought by processor from out side of the State for processing for the period from First April, 2004 to 31-3-2006.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती मधु पाण्डेय, निवासी कोरबा छत्तीसगढ़ को जिला फोरम, कोरबा में सदस्या के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 8th August 2005

No. F 5-1/food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoints Smt. Madhu Pandey, resident of Korba, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Korba with effect from the taking over the charge.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 20-95/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2004 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004" निम्नानुसार लागू करता है.

1— **परिचय:—**

राज्य में स्थापित हो रहे लघु तथा मध्यम—वृहद उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2004—09 के अंतर्गत "ब्याज अनुदान योजना" का विस्तार किया गया है।

2— **नियम :—**

ये नियम "**छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2004**" कहे जायेंगे ।

3— **प्रभावशील तिथि :—**

ये नियम **दिनांक 01.11.2004** से प्रभावशील होंगे ।

4— **परिभाषाएं :—**

(1)— इस नियम के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम—वृहद औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार, सामान्य उद्योग, विशेष थ्रस्ट उद्योग,अपात्र उद्योग, प्रभावी कदम, अनुसूचित जाति—जनजाति द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं **होगी** जो " **छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना— स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004**" में दी गई हैं।

(2)— <u>सावधि ऋण :—</u>

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित **बैंक, / वित्त** निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, या अनुसूचित जनजाति **वित्त एवं** विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान / **जिला** केन्द्रीय सहकारी बैंक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य।

(3)— <u>कार्यशील पूंजी:—</u>

कार्यशील पूंजी से अभिप्रेत है उपरोक्त बिन्दु क्र0 4 (2) में उल्लेखित बैंक /निगम/संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित ऋण ।

5— **पात्रता :—**

5.1— औद्योगिक नीति 2004—09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "उपाबंध 4" मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष नवीन लघु, मध्यम—वृहद

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना /विद्यमान उत्पादनरत लघु, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर उनके द्वारा प्राप्त किये सावधि ऋण या / और कार्यशील पूंजी हेतु ऋण पर सबंधित वित्त पोषक संस्था को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

5.2– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.3– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान की पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

5.4– ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, । निर्धारित कालावधि के पश्चात किया गया स्वत्व उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा निरस्त किया जावेगा, आगामी किसी भी त्रैमास का स्वत्व अगले एक त्रैमास / छः मास, जो लागू हो, के भीतर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मान्य योग्य नही रह जायेगा ।

5.5– भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

5.6– जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–2 के द्वारा लागू नियमों अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.7– अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशेष प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग/आई0ई0एम0 प्राप्त उद्योग जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.8– "उपाबंध 4" मे दर्शाए गये उद्योगों को ब्याज अनुदान की पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित प्रभावी कदम" उठाये गये हों । इन उद्योगों को प्राप्त होने वाले ब्याज अनुदान की मात्रा औद्योगिक नीति 2001–06 के अनुसार ही होगी ।

5.9– ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत शासन / राज्य शासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नही होगी।

6— अनुदान की मात्रा :—

लघु तथा मध्यम—वृहद उद्योगों को नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा—

(1)—(क) — नवीन लघु उद्योग—

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ—सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर— चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	(1)— 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**— रु. 5 लाख वार्षिक (2)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)— 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज़ का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**— रु. 10 लाख वार्षिक (2)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब— अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)— 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा** — रु. 10 लाख वार्षिक, (2)— अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)— 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**— रू0 10 लाख वार्षिक (2)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के

(ख)— विद्यमान लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान सामान्य क्षेत्रों में नवीन मध्यम—वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित दर व अवधि के बराबर दिया जावेगा चाहे सामान्य क्षेत्र अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार किया गया हो ।

(2)— मध्यम—वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ—सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर— चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग राजनांदगांव, व कवर्धा जिलों के क्षेत्र	(1)—निरंक (2)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक, (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)	(1)— 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) अधिकतम सीमा—रु. 20 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर) (2)—अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)

श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 20 लाख वार्षिक विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार– निरंक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई रु. 30 लाख वार्षिक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 20 लाख वार्षिक	(1)– कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा** नवीन औद्योगिक इकाई रु. 40 लाख वार्षिक– 7 वर्ष तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू 20 लाख वार्षिक– 5 वर्ष तक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से, **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 50 लाख वार्षिक– 7 वर्ष तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 30 लाख वार्षिक– 5 वर्ष तक

6.1– उपरोक्त तालिका के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि औद्योगिक इकाई को न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत वार्षिक (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जाएगी ।

6.2– अनुदान की कालावधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.3– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

6.4– यदि किसी त्रैमास (छैःमास), जो लागू हो, में समय पर ब्याज या मूलधन की किशत न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा **"ऋण न चुकाने वाला"** (Defaulter) माना जाता है तो उस त्रैमास(छैःमास) में ब्याज अनुदान प्राप्त नही होगा । किसी त्रैमास (छैःमास) में **"एक बार ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter)** हो जाने पर उस त्रैमास (छैःमास) के ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में, पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

7– **प्रकिया व अधिकार :–**

7.1– औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध –5" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिवर्तन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र ।

(5) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास / छैःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात त्रैमासिक/ छैः माही आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जावेगा।)

7.2– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण "उपाबंध 2" के अनुसार न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर उद्योग आयुक्त द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

स्वत्व के नियमानुसार न होने पर यथास्थिति महाप्रबंधक / उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित अवधि में अपर संचालक उद्योग / विभाग के सचिव को (जो लागू हो) निर्धारित अवधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 45 दिवसों में किया जावेगा ।

7.3– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो सबंधित वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

7.5– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

ब्याज अनुदान की वसूली–

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई / बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई /बैंक या दोनों से की जा सकेगी । यह राशि इकाई / बैंक या दोनों से भू–राजस्व के बक़ाया की वसूली के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । वसूली योग्य मूल राशि पर वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

8.2– उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी, यदि दे दी गयी हो ।

9– **अपील /वाद –**

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

2– नियमो की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था / बैंक के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

10– **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे ।

12– **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 855/बजट–5/वित्त/चार/2005, दिनांक 04.06.2005/ 29.07.2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

"उपाबंध– 1"

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि.................... से ....तक   वर्तमान क्लेम, अवधि................ से ....तक

क0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 स्थायी लघु उद्योग पंजी0 / वा0 उत्पा0 प्रमाण पत्र क0 व दिनांक 4 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	नवीन औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरित	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक ....तक
			अ सावधि ऋण ब– कार्यशील पूंजी योग–				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित संस्था को देय राशि का विवरण			औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि, जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है				क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग	राशि	दिनांक	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी योग 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग	राशि	दिनांक	अनुदान की दर	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान / ब्याज अनुदान की दर	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कुल रोजगार				
श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
20	21	22	23	24
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स				

घोषणा पत्र

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि .... में मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के साथ 15दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता
दिनांक

"उपाबंध–2"
(नियम 7.2)
निरीक्षण टीप

1– औद्योगिक इकाई के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । इकाई में उत्पादन चालू / बंद है
2– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– अनुशंसा /अभिमत
स्थान :–
दिनांक :–

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद

प्रारूप

उपाबंध–3
(नियम 7.2)
ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "7.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्र0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि.......तक	वर्तमान स्वीकृत स्वत्व	
							अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11

2851– ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

102– लघु उद्योग

0101– राज्य आयोजना(सामान्य)

3801–लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान

13– आर्थिक सहायता

001– प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग / महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

"उपाबंध–4"

(नियम 5.1 तथा 5.8)

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोडकर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

"उपाबंध–5"
(नियम 7.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी).. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स...
....
....

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 20-95/2004/11/6 :- राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" निम्नानुसार लागू करता है ।

1 परिचय

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्द्धन करने, पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, अनुसूचित जाति/ जनजाति आदि कमजोर वर्ग के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु पूर्व की लागत पूंजी सहायता व अधोसंरचनात्मक सहायता योजना को संयुक्त करते हुये एक नवीन योजना "अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" बनाई गयी है ।

2 नियम

ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" कहे जावेगें।

3 परिभाषाऐं :-

इस योजना के कियान्वयन हेतु उपाबंध "1" के अनुसार परिभाषाएं लागू होंगी ।

4 पात्रता

4.1– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "उपाबंध –12" में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष समस्त नवीन औधोगिक इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर अनुदान / "अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.2– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पात्रता नही होगी।

4.3– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को /से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

4.4– अनुदान संबंधी प्रथम स्वत्व लघु उद्योगों के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक / अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर जो पश्चातवर्ती हो तथा लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के मामलों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के अधिकतम 18 माह पश्चात (जिसमें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग को न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विकय कर राशि का भुगतान किया गया हो) पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

4.5– अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिये पूर्व से वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र धारी डीलर्स के लिये इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग से पृथक "प्रांतीय" वाणिज्यिक कर पंजीयन एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.6– औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में जिन उद्योगों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत यथास्थिति अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–3 दिनांक 07.06.2003 तथा अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–8 दिनांक 07.06.2003 में पात्रता होने पर इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अधीन जारी अधिसूचनाओं कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–3 दिनांक 07.06.2003 /अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–8 दिनांक 07.06.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.7– विभागीय अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशे । प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग / आई ई एम प्राप्त उन उद्योगों को जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.8– **"उपाबंध 12"** मे दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी जब इन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित "प्रभावी कदम" उठा लिये हों तथा यथास्थिति – अधिसूचना कमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–3, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001 व अधिसूचना कमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–8, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम –2001 के अन्तर्गत पात्र हो । ऐसे उद्योगों को औद्योगिक नीति 2001–06 के अधीन जारी संबंधित अधिसूचनाओं की पात्रता एवं मात्रा अनुसार अनुदान देय होगा ।

4.10– यदि भारत ।ासन / राज्य ।ासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल या वित्तीय संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता नही होगी।

4.11– स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता होगी ।

4.12– उद्योग के आधुनिकीकरण व ।वलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.13– इस योजनान्तर्गत रियायत प्राप्त करने के लिये मध्यम– वृहद, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद उद्योगों को उद्योग विभाग से पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। पंजीयन हेतु उपाबंध 2 में निर्धारित प्रारूप पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा (मध्यम– वृहद उद्योगों के मामलों में पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों को पंजीयन प्रमाण पत्र अपर संचालक उद्योग संचालनालय द्वारा **"उपाबंध 3"** में निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जावेगा)

4.14– इस योजनान्तर्गत लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक इकाई प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि "औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकृत औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है"

4.15– लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह भी आवश्यक होगा कि अनुदान के प्रथम स्वत्व की स्वीकृति उपरांत प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि "औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु पंजीकृत व अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है"

4.16– मध्यम – वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिये जाने का आधार औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर से है । यदि औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि का कुछ भी भुगतान नहीं किया है तो इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी ।

5 अनुदान की मात्रा

लघु , मध्यम–वृहद तथा मेगा प्रोजेक्ट एवम अति वृहद उद्योगों को अधोसंरचना – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान / अनुदानं समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" निम्न तालिका में दी गयी मात्रानुसार दिया /जारी किया जावेगा ।

//तालिका//

क– लघु उद्योग

(1)– नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना

क्षेत्र	सामान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	अनुदान की मात्रा	अनुदान की मात्रा
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य	1– निरंक	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–रू0 25 लाख**
	2– अनिवासी भारतीय– शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक	2– निरंक	**2**– सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 25 लाख
	3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख
	2– अनिवासी भारतीय– शतप्रतिशत एफ डी आई निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 30प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख	**2**– सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख
	3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के

(2)– विद्यमान लघु उद्योग इकाईयों का विस्तार

विद्यमान लघु औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर उद्योग का स्वरूप यथा स्थिति "मध्यम–वृहद" अथवा "मेगा प्रोजेक्ट" में हो जाने पर तदनुसार मध्यम– वृहद अथवा मेगा प्रोजेक्ट हेतु सामान्य क्षेत्र में नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निर्धारित दरों व अवधि के आधार पर अतिरिक्त निवेश पर अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा चाहे उद्योग सामान्य क्षेत्र में विस्तारित किया गया हो अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में

ख– मध्यम– वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	समान्य उद्योग			विशेष थ्रस्ट उद्योग	
	वर्ग	नवीन औ0 इकाई की स्थापना	विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार	नवीन औ0 इकाई की स्थापना	विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र		(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)
	1– सामान्य	1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय– शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (औ0क्षेत्र में /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के

		वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो		(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर)
	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई: निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– अधोसंरचना लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति–जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति–जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

ग – अति वृहद उद्योग (नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना) /विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार

क्षेत्र	समान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	अनुदान की मात्रा	अनुदान की मात्रा
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद ,बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3 अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

(3)–1 विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं में अधोसंरचना लागत / स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की गणना विस्तार परियोजना हेतु किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार पर की जावेगी ।

6 प्रक्रिया

6.1– औद्योगिक इकाईयों को "**उपाबंध 4**" के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध –13" में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी। आवेदन पत्र की एक प्रति वाणिज्यिक कर विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

(1) वैद्य प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) वैद्य स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंध 6 पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(8) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का उपाबंध 7 पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(9) अधोसंरचना लागत के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(10) स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(11) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल

(12) मध्यम– वृहद/ मेगा प्रोजेक्ट / अति वृहद उद्योगों के प्रकरणों में योजनान्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र

(13) भारत सरकार / राज्य सरकार के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक आदि से पूंजी निवेश से संबंधित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(14) राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग से "प्रांतीय" वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र

(15) राज्य में भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के भुगतान के चालान की सत्यापित प्रति व वाणिज्यिक कर अधिकारी का उपाबंध 10 में निर्धारित प्रारूप पर विकयकर भुगतान प्रमाण पत्र .

(16) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश (यदि कर निर्धारण हो गया हो)

6.2– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण **"उपाबंध 5"** के निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिनमें अनुदान राशि / समायोजन प्रमाण पत्र रूपये 15 लाख तक है जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा अन्य प्रकरण में अपने अभिमत के साथ उद्योग संचालनालय, को प्रेषित किये जावेंगे । जिला स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय द्वारा भी यही प्रकिया अपनाई जावेगी तथा अन्य प्रकरण अभिमत के साथ आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रेषित किये जावेंगे । इन प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

स्वत्वों का निराकरण लघु उद्योगों के प्रकरणों में 60 दिवसों में एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 90 दिवसों में किया जावेगा ।

6.3– जिला /राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर सदस्य सचिव द्वारा "स्वीकृति आदेश / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपाबंध 9/उपाबंध 11 पर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जावेगा जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा । विभाग की ओर से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा,

प्रकरण के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित समयावधि में अपील प्राधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

योजना के कियान्वयन हेतु यथास्थिति जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दूटों को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

6.4– यदि भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी ।

6.5– अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी

स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जावेगा । बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

समिति का स्वरूप :–

(अ)	**जिला स्तरीय समिति :–**	
(1)	कलेक्टर	**अध्यक्ष**
(2)	संयुक्त संचालक उधोग	**उपाध्यक्ष**
(3)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	**सदस्य**
(4)	लीड बैंक अधिकारी	**सदस्य**
(5)	महाप्रबंधक, सी0एस0आई0डी0सी0 (उद्योग विभाग के उप संचालक स्तर के अधिकारी)	**सदस्य**
(6)	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र	**सदस्य सचिव**
(ब)	**राज्य स्तरीय समिति :–**	
(1)	उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग	**अध्यक्ष**
(2)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर से कम न हो	**उपाध्यक्ष**
(3)	प्रबंध संचालक, / कार्यपालक संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0	**सदस्य**
(4)	महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय,रायपुर	**सदस्य**
(5)	अपर संचालक उधोग ,उद्योग संचालनालय	**सदस्य सचिव**

समिति का कोरम 3 का होगा । जिला स्तरीय समिति में "अनुक्रमांक 3" व राज्य स्तरीय समिति में **"अनुकमांक 2"** में अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(स) योजना के कियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना / वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना ।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना,कार्यवाही विंवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रतिवेदन के रूप में सदस्य सचिव राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करना ।

(द) योजना के कियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी ।

1– अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना की व्याप्ति तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

2– समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय समिति के विनिश्चय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशेष में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा ।

3– अधिसूचना के अधीन योजना के कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

7 <u>अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रकिया</u>

(1) इस योजना के अर्न्तगत अधोसंरचना लागत व स्थायी पूंजी निवेश की गणना पंजीकृत परियोजना के आधार पर की जावेगी ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के **"परिशिष्ठ कमांक 1"** में दी गयी टीप अनुसार की जावेगी ।

(3) लघु उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(4) मध्यम–वृहद उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान, अनुदान की पात्रता अवधि में वार्षिक किश्तों में किया जावेगा ।

(5) मेगा प्रोजेक्ट तथा रूपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योगों को अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर किया जावेगा।

(6) राज्य में अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विकय कर राशि की गणना में निम्नांकित मदों में भुगतान की गयी कर राशि को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(अ) राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल

(ब) डीजल तथा पेट्रोल

(स) वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित वस्तुएं

(द) ऐसे निर्मित माल /उद्योग में प्रयुक्त कच्चामाल, आनुषांगिक माल व अन्य पर औद्योगिक इकाई अथवा उपभोक्ता द्वारा मांगा गया सेटऑफ / समायोजन

(इ) अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विकय कर की ऐसी राशि जिसका वैट अधिनियम लागू होने पर वैट स्कीम में समायोजन / वापसी का दावा किया गया हो, सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

(7) किश्तों में किये जाने वाले अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन अनुदान की गणना हेतु प्रति वर्ष अनुदान की मात्रा को अनुदान की पात्रता अवधि मे विभक्त कर

अनुदान के मात्रा की वार्षिक किश्त तथा राज्य में प्रति वर्ष भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर राशि की तुलना की जावेगी व इसमें से जो न्यूनतम होगा उसका यथास्थिति भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । (उद्योग प्रारंभ करने के पश्चात प्रथम वर्ष में संबंधित वित्तीय वर्ष की शेष बची हुई अवधि न्यूनतम 6 माह तथा आगामी वर्षो में (पूर्ण वित्तीय वर्ष– अप्रेल से मार्च तक) के आधार पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ज्ञात की जावेगी) अनुदान की अधिकतम सीमा राशि राज्य में भुगतान की गयी वार्षिक कर राशि(वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर) होगी । यह प्रकिया अनुदान देय की पात्रतावधि में वर्षवार अपनाई जावेगी ।

उदाहणार्थ:–

सामान्य वर्ग के एक उद्यमी द्वारा जिसने औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सामान्य उद्योग स्थापित किया है जिसका सकल पूंजी निवेश 100 करोड़ तथा अधोसंरचना लागत रू0 10 करोड़ है तथा उद्योग स्थापित करने के पश्चात निर्धारित 5 वर्षो में क्रमशः रू0 25 लाख, 50 लाख ,60 लाख, 5 लाख व 1 लाख का भुगतान प्रांतीय विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में किया है को अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन निम्नानुसार होगा –

वर्ष	अधोसंरचना लागत (रू0 लाख में)	निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा अनुदान की वार्षिक किश्त (अनुदान की राशि ÷ अनुदान की अधिकतम सीमा अवधि) (रू0 लाख में)	राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (रू0 लाख में)	देय / समायोजित अनुदान (रू0 लाख में)
1	1000	50	25	25
2		50	50	50
3		50	60	50
4		50	5	5
5		50	1	1

(1) उद्योग स्थापित करने के प्रथम वर्ष में पात्र लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों को अनुदान का वितरण नहीं किया जावेगा ।

(2) उद्योग स्थापित करने के द्वितीय वर्ष की अवधि में – प्रथम वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(3) उद्योग स्थापित करने के तृतीय वर्ष की अवधि में – द्वितीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(4) उद्योग स्थापित करने के चतुर्थ वर्ष की अवधि में – तृतीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(5) उद्योग स्थापित करने के पंचम वर्ष की अवधि में – चतुर्थ वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

पंचम वर्ष की अवधि में औद्योगिक इकाई को इस आशय के दस्तावेज / प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं की है / दावा नहीं किया है व इसके उपरांत चतुर्थ वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(6) उद्योग स्थापित-करने के छठवे व सातवे वर्ष में बिन्दु क्रमांक 7.5 के अनुरूप कार्यवाही कर आगामी वर्षो में देय अनुदान / समायोजन की गणना की जावेगी ।

(राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं करने / दावा नहीं करने बाबत प्रमाण यदि पंचम वर्ष के पूर्व ही दिया जाता है तो तदनुसार अनुदान की राशि निर्धारित की जावेगी) ।

7.1 देय अनुदान की पात्रता अवधि में किसी वर्ष यदि उद्योग बंद हो जाता है तो संबंधित वर्ष में अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा व संबंधित वर्ष की अनुदान पात्रता भी समाप्त हो जावेगी ।

7.2 यदि सकल पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान राशि देय है तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात किसी वर्ष / वर्षो में उद्योग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि की गयी है तो अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा को पात्रता अवधि के शेष वर्ष /वर्षो में विभक्त कर निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान राशि में जोड़ा जावेगा । स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के "परिशिष्ठ 1" में दी गयी टीप अनुसार होगी ।

8 अपील /वाद

(1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध "राज्य अपिलीय फोरम" को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

(2) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण के गुण दोष के आधार पर विलम्ब माफ करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) राज्य स्तरीय समिति / राज्य अपीलीय फोरम द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जावे ।

(4) इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

(5) राज्य अपीलिय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होगें–

1– भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग– **अध्यक्ष**

2– भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग– **सदस्य**

3– प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग– **सदस्य**

4– प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग– **सदस्य**

5– प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग– **सदस्य सचिव**

राज्य अपीलीय फोरम की गण पूर्ति चार से होगी तथा अनुकमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा ।

9 <u>अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसुली</u>

निम्न स्थितियों में अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की राशि भुगतान हो जाने /स्वीकृति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2– अनुदान / रामायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत होने के पश्चात भी स्वत्व के नियमानुसार नही पाये जाने पर

9.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

9.4— यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

9.5— अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

9.6— वार्षिक रूप से उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी/ अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

9.7— यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान/ समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.8— अनुदान राशि / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की स्वीकृति उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की गणना में ऐसे आयटमों पर भी भुगतान की गयी राशि को सम्मिलित किया गया है जिन्हें गणना हेतु अपात्र घोषित किया गया है ।

9.9— उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.8 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / वसूली के आदेश, अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली/ भविष्य के दावों में समायोजन करने के आदेश देने के अधिकार यथास्थिति जिला / राज्य स्तरीय समिति को होंगे तथा समिति के सदस्य सचिव समिति के निर्णय / आदेश के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

9.10— नियंत्रण से परे कारणों के कारण उधोग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उधोग बंद हो जाने की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

10 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–</u>

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के दायित्व होंगे –

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें अनुदान वितरण एजेन्सी को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होगे । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी । यह जानकारी अनुदान स्वीकृत करने वाली जिला / राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(3) अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा

स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण- दोष के आधार पर इन बिन्छूटों पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क0 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

11. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगे ।

12 योजना का कियान्वयन

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

13 इस अधिसूचना की स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0नोट कमांक 1094 दिनांक 18.08.2005 द्वारा प्रदान की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

उपाबंध–1
(नियम 3)
(परिभाषाएं)

(एक)– **"औद्योगिक क्षेत्र"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औद्योगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र,

(दो)– **"नवीन औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(तीन)– **"विद्यमान औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो द इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(चार)– **"विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार"** से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

(पांच)– **"लघु उधोग इकाई"** से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(छः)– **"मध्यम – वृहद औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु सकल स्थायी पूंजी निवेश रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(सात)– **"मेगा प्रोजेक्ट"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन, औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(आठ)– **अति वृहद उद्योग**– से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि रूपये 1000 करोड़ से अधिक हो

(नौ)– "सामान्य उद्योग" से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है जो विशेष थ्रस्ट उद्योग एवं औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट –2 में सम्मिलित नहीं है

(दस)– **"विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग"** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है,

1– हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2– आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकि उद्योग
3– प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
4– एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5– खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
6– मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7– फार्मस्यूटिकल उद्योग
8– व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद
9– अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन
10– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

(ग्यारह)– **"अपात्र उद्योग"** से अभिप्रेत है औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ठ–2 में उल्लेखित उद्योग,

(बारह)– **"सकल पूंजीगत लागत / सकल पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि

(तेरह)– **"अधोसंरचनात्मक लागत"** से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश

(चौदह)– **"भूमि"** से अभिप्रेत है औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक कय की गई या लीज पर ली गई भूमि, तथा **"भूमि व्यय"** में सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम तथा भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क

(पन्द्रह)– **"भूमि विकास"** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं– भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण,

टीप : भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

(सोलह)– **"पहुंच मार्ग"** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक उपक्रम के फेक्ट्री परिसर के निकट्वर्ती सावर्जनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते फेक्ट्री परिसर तक शासन के किसी विभाग /उपक्रम का कोई पहुंचमार्ग न हो,

(सत्रह)– **"विद्युत आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक इकाई या किसी विद्यमान उद्योग की विस्तारित इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने के लिये विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु, विद्युत संयोजन के लिये छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल / उसके उत्तराधिकारी उपक्रमों को भुगतान की गई राशि तथा उससे संबंधित अधोसंरचना पर व्यय की गयी राशि से है

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी ।

(2) यदि केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत आपूर्ति निवेश" के तहत मान्य किया जावेगा जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

(अठारह)– **"जल आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक जल आपूर्ति के लिये किये गये निवेश (प्रतिभूति तथा सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड कर) से है बशर्ते कि जल आपूर्ति की व्यवस्था शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात की गयी हो ,

(उन्नीस)– **"स्थायी पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु औधोगिक इकाई द्वारा उसके परिसर में फेक्ट्री भवन, शेड, प्लांट एवं मशीनरी तथा रेल्वे साइडिंग के रूप में स्थायी परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश से है

(बीस)– **"शेड–भवन"** से अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन,श्रमिक विश्राम कक्ष, साईकिल / स्कूटर स्टेण्डं, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम,

(इक्कीस)– **"प्लांट एवं मशीनरी"** सें अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपकम के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान आदि हेतु संयंत्र एवं उपकरण आदि,

टीप : न्यूनतम 10 वर्ष की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्ड़र्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रकिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जाएगा ।

(बाईस)– **"रेलवे साइडिंग"** से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के-कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है,

टीप : स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) लघु उद्योग की दशा में उपकम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ख) मध्यम– वृहद उद्योग की दशा में स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा मे उपकम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(तेईस)–"वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औधोगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औधोगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ड) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

टीप : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अन्तिम होगा ।

(चौबीस)– "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति,

(पच्चीस)– **"अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों,

(छब्बीस)–**"प्रभावी कदम"** से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

क. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,

ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो , तथा

ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का पक्का क्रय आदेश दे दिया हो।

(सताईस)– कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों की वही परिभाषा मान्य की जावेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे ।

(सताईस)– अनिवासी भारतीय की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

(उनतीस)– शत –प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशक की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे व जिसे भारत सरकार द्वारा वांछित अनुमति प्रदत्त हो ।

(तीस)– राज्य के मूल निवासी से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे ।

—

"उपाबंध 2"

(नियम 4.13)

"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत अधोसंरचना –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का विवरण

1– इकाई का नाम
पत्र व्यवहार का पता
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

2– प्रस्तावित संस्था का प्रकार (कृपया चिन्ह लगायें)

1	स्वामित्व	2	साझेदारी
3	प्रायवेट लिमिटेड	4	पब्लिक लिमिटेड
5	संयुक्त उपकम	6	सहकारी समिति
7	सार्वजनिक उपकम	8	अप्रवासी भारतीय
9	विदेशी निवेश	10	अन्य

3– संस्था के निर्गम का दिनांक

4– पंजीयन कमांक

5– प्रबंध संचालक / संचालकों के नाम पता सहित एवं
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

6– लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में रजिस्टर्ड कार्यालय का पता.............................
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

7– स्थानीय कार्यालय (संपर्क व्यक्ति) का नाम
पत्र व्यवहार का पता
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

8– परियोजना हेतु पंजीयन
1– एफआईपीबी /आरबीआई अनुमोदन कमांक दिनांक वैद्यता अवधि
2– ईओयू पंजीयन कमांक दिनांक वैद्यता अवधि
3– आईईएम कमांक दिनांक वैद्यता अवधि

9– परियोजना की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)
1– नवीन
2– विस्तार

10– कार्यकलाप की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)
1– विनिर्माण / एकत्रीकरण
2– प्रोसेसिंग
3– जाबवर्क
4– मरम्मत /सर्विसिंग

11– परियोजना का स्थान

12– निर्माण हेतु प्रस्तावित उत्पाद

कमांक	उत्पाद का नाम	एनआईसी कोड	वार्षिक क्षमता (इकाई)
1			
2			
3			

13– निर्माण विधि का संक्षिप्त विवरण (आवश्यक होने पर अलग से संलग्न करें)

14– सह–उत्पाद का विवरण

कमांक	नाम	मात्रा प्रतिवर्ष (इकाई)
1		
2		

15– कच्चे माल की आवश्यकता

कमांक	उत्पाद का नाम	कच्चे माल की आवश्यकता	वार्षिक आवश्यकता (इकाई)
1			
2			
3			
4			

16– प्रस्तावित यंत्र–संयत्र की सूची

क0	संयत्र का नाम	उदेश्य	संख्या	अश्वशक्ति	मूल्य (रूपये)
1					
2					
3					
4					

17– परियोजना की अनुमानित लागत

1	भूमि	रूपये
2	भूमि विकास शुल्क	रूपये
3	भवन (कार्यालय)	रूपये
4	भवन (फक्ट्री)	रूपये
5	अन्य भवन (विवरण सहित)	रूपये
6	यंत्र व संयत्र	रूपये
7	विद्युत स्थापना व्यय	रूपये
8	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र	रूपये
9	अन्य	रूपये
10	विविध	रूपये
11	कार्यशील पूंजी	रूपये
	अ– योग	रूपये
	ब– कार्यशील पूंजी	रूपये

12– निर्माण हेतु प्रस्तावित उत्पाद

क्रमांक	उत्पाद का नाम	एनआईसी कोड	वार्षिक क्षमता (इकाई)
1			
2			
3			

13– निर्माण विधि का संक्षिप्त विवरण (आवश्यक होने पर अलग से संलग्न करें)

14– सह–उत्पाद का विवरण

क्रमांक	नाम	मात्रा प्रतिवर्ष (इकाई)
1		
2		

15– कच्चे माल की आवश्यकता

क्रमांक	उत्पाद का नाम	कच्चे माल की आवश्यकता	वार्षिक आवश्यकता (इकाई)
1			
2			
3			
4			

16– प्रस्तावित यंत्र–संयत्र की सूची

क0	संयत्र का नाम	उदेश्य	संख्या	अश्वशक्ति	मूल्य (रूपये)
1					
2					
3					
4					

17– परियोजना की अनुमानित लागत

1	भूमि	रूपये
2	भूमि विकास शुल्क	रूपये
3	भवन (कार्यालय)	रूपये
4	भवन (फक्ट्री)	रूपये
5	अन्य भवन (विवरण सहित)	रूपये
6	यंत्र व संयत्र	रूपये
7	विद्युत स्थापना व्यय	रूपये
8	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र	रूपये
9	अन्य	रूपये
10	विविध	रूपये
11	कार्यशील पूंजी	रूपये
	अ– योग	रूपये
	ब– कार्यशील पूंजी	रूपये

महायोग (अब)

18– वित्त हेतु प्रस्तावित उपाय

1	इक्विटी	रूपये
2	इंटरनल एकुएल	रूपये
3	पब्लिक इश्यू	रूपये
4	फारेन इक्विटी	रूपये
5	टर्म लोन (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम)	रूपये
6	टनसिक्योर्ड लोन	रूपये
7	अन्य	रूपये
	योग	रूपये

19– प्रस्तावित रोजगार

क0	विवरण	राज्य से	राज्य के बाहर के	योग
1	अकुशल			
2	कुशल			
3	पर्यवेक्षकीय			
4	प्रबंधकीय			
	योग			

20– परियोजना पूर्णता समय तालिका

1– निर्माण कार्य प्रारंभ होने का दिनांक

2– परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

3– व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

4– चरणबद्ध व्यवसायिक उत्पादन होने पर चरणवार व्यवसायिक उत्पादन के संभावित दिनांक

21– अन्य कोई जानकारी

//घोषणा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं।

2– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत है ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियमों में अनुदान वितरण की प्रकिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे मैं सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर,
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध 3"

(नियम 4.13)

अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का पंजीयन प्रमाण पत्र

उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

पंजीयन कमांक /वित्तीय सहायता– 200....... रायपुर दिनांक

1– छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक...................... दिनांक ....के तहत औद्योगिक इकाई .... के अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने के आवेदन पत्र का पंजीयन, पंजीयन कमांक................. .... दिनांक.......................... के द्वारा किया जाता है ।

1.1– औद्योगिक इकाई, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना / औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र धारित हैं

अ–

ब–

स–

1.2– औद्योगिक इकाई की प्रस्तावित परियोजना निम्नानुसार है

अ– फेक्ट्री का प्रस्तावित स्थल

ब– औद्योगिक इकाई की अनुमानित परियोजना लागत

स– औद्योगिक इकाई के प्रस्तावित उत्पाद व उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता

2– यह पंजीयन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक.......................... के नियमों व शर्तो के अधीन जारी किया गया है ।

3– यह पंजीयन प्रमाण पत्र अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई वचन पत्र नहीं है ।

4– पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ औद्योगिक इकाई व पंजीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) संलग्न है ।

5– इस प्रोजेक्ट के कियान्वयन हेतु कंपनी तथा राज्य शासन के बीच दिनांक.................. को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ है ।

अपर संचालक / महाप्रबंधक

उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

"उपाबंध–4"

(नियम 6.1)

"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्यमी का वर्गीकरण

1– सामान्य /अनिवासीं भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग,)

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप (नवीन / विस्तार)

5– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान

2 विकास खण्ड

3 जिला

6– पंजीयन

1– अन्नतिम लघु उद्योग पंजीयन

2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन / उत्पादन प्रमाण पत्र

3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत–प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

5– केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन

6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति

अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)

ब– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)

स– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

द– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

7– कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन

8– भूमि व्यपवर्तन /शुल्क निर्धारण आदेश

9– जल स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7— कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9— अ— उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)
(मूल्य)
ब— उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)
स— उत्पाद हेतु प्रयुक्त आनुषांगिक माल
द— उत्पाद हेतु प्रयुक्त पेकिंग सामग्री

10— सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0		राशि
1	**स्थायी पूंजी निवेश**	
	अ— फैक्ट्री भवन	
	1 फैक्ट्री भवन	
	2 शेड	
	3 प्रयोगशाला भवन	
	4 अनुसंधान भवन	
	5 प्रशासकीय भवन	
	6 केन्टीन	
	7 श्रमिक विश्राम कक्ष	
	8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड	
	9 सिक्यूरिटी पोस्ट	
	10 माल गोदाम	
	योग	
	ब— प्लांट एवं मशीनरी	
	1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी	
	2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण	
	योग	
	स— रेल्वे साइडिंग	
	1— इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन	
	2— अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय	
	योग—	
2	अधोसंरचना लागत—	
	1 भूमि	
	अ— भूमि का रकबा -	
	ब— वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम	
	स— सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान	
	द— मुद्रांक शुल्क	
	इ— पंजीयन शुल्क	
	2 भूमि विकास	
	अ— भूमि का समतलीकरण	
	ब— भूमि का गहरीकरण	
	स— ड्रेनेज निर्माण	

	योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय	
3	**अन्य–(यदि निवेशित किया हो)** 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य	
4	**कुल योग– सकल पूंजीगत लागत** ;12द्ध	

11– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

12– रोजगार–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			

	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

13— विद्युत भार—

14— राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर विभाग को कर राशि

1— भुगतान की गयी राशि

अ— केन्द्रीय विक्रय कर

ब— प्रांतीय वाणिज्यिक कर

स— केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर राशि ।

द— केन्द्रीय वाणिज्यिक कर की ऐसी राशि जिसका (वैट अधिनियम लागू होने पर) वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी का दावा किया गया है ।

ई— अनुदान गणना हेतु राशि (वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतानित शुद्व वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ।

15— निवेशक की अन्य औद्योगिक इकाइयों का विवरण —

1— नाम व पता

2— कारखाना स्थल

अ— ग्राम / नगर

ब— तहसील

स— जिला

द— विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

16— अन्य

2

//घोषणा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2–. उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि, मय ब्याज 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत है ।

4– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि को कम कर राशि दर्शाई गयी है ।

5– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में यदि औद्योगिक इकाई / अन्य क्रेता /उपभोगता द्वारा सैट–आफ / समायोजन हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में दावा किया जाता है अथवा राशि प्राप्त की जाती है तो इसकी जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी । भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में ऐसी राशि जिसका वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी का दावा किया जाता है तो उसकी जानकारी भी वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

6– अनुदान की गणना हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में ऐसी कोई राशि सम्मिलित नहीं है जिसका वैट स्कीम में समायोजन /वापसी का दावा किया गया है । (वैट अधिनियम लागू होने पर)

7– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे मैं सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध 5"

(नियम 6.2)

"अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान आवेदन का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन"

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक.....................

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्यमी का वर्गीकरण

1– सामान्य /अनिवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग.)

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप

5– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थल

2 विकास खण्ड

3 जिला

6– पंजीयन

1– अन्तिम लघु उद्योग पंजीयन

2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन

3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

5– केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन

6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति

अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

ब– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

स– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

द– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

7– कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन

8– भूमि व्यपवर्तन/शुल्क निर्धारण आदेश

9– जल-स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनाप्पति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7– कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9– अ– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)

(मूल्य)

ब– उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)

स– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (आनुषांगिक माल)

द– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (पेकिंग सामग्री)

10— सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क0	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक ..../ तक/ उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात दिनांक.......... ...... से दिनांक....................तक किया गया पूंजी निवेश रूपयों में
1	**स्थायी पूंजी निवेश** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय योग–		
2	अधोसंरचना लागत– 1 भूमि अ– रकबा ब– वास्तविक कय मूल्य / प्रीमियम स– सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान द– मुद्रांक शुल्क इ– पंजीयन शुल्क 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग– 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान		

	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय योग–		
3	अन्य– (यदि निवेश किया गया हो) 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	**कुल योग– सकल पूंजीगत लागत** .;12द्ध		

11– रोजगार–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

12— **सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति**

1— भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

2— भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

3— पहुंचमार्ग (कार्य का स्वरूप, लम्बाई, चौड़ाई)

4— विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

5— जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13— **विद्युत भार—**

14— **राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी कर राशि का विवरण**

1— भुगतान की गयी राशि

अ— केन्द्रीय विक्रय कर

ब— प्रांतीय वाणिज्यिक कर

2— राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि (पृथक–पृथक)।

3— औद्योगिक इकाई / अन्य केता /उपभोक्ता द्वारा सेटआफ / समायोजन की स्थिति

4— वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में वैट स्कीम में समायोजन/ राशि वापसी के दावे संबंधी स्थिति । (वैट अधिनियम लागू होने पर)

5— अनुदान गणना योग्य, भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि

15— **औद्योगिक इकाई की अन्य इकाइयों का विवरण (यदि लागू हो)—**

1— नाम व पता

2— कारखाना स्थल

अ— ग्राम / नगर

ब— तहसील

स— जिला

द— विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

16— **अन्य**

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

नाम

पद

कार्यालय

प्रारूप

"उपाबंध–6"
(नियम 6.1 (7)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक................ है, ने दिनांक........................तक किया गया अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये..............................(अक्षरों में)......................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क्र0	विवरण	निवेशित राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	**स्थायी पूंजी निवेश** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय कुल योग–		
2	**अधोसंरचना लागत–** 1 भूमि अ– वास्तविक क्रय मूल्य / प्रिमियम ब– मुद्रांक शुल्क स– पंजीयन शुल्क		

	2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय		
3	अन्य– 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	योग		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

प्रारूप

"उपाबंध–7"
(नियम 6.1 (8)
(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ....
जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र कमांक................ है, ने दिनांक.........................तक किया गया अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये...............................(अक्षरों में)........................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क0	विवरण	मात्रा / साईज	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
2	अधोसंरचना लागत– 1 भूमि अ– वास्तविक कय मूल्य / प्रिमियम 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण द– अन्य योग 3 पहुंच मार्ग (लम्बाई व चौड़ाई व सड़क निर्माण का स्वरूप) अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 जल आपूर्ति निवेश (पाईप लाईन, ओव्हर हेड, टैंक, एनीकट / बोरवेल, तालाब आदि)			
3	अन्य– 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क			

स्थान :
दिनांक:

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

"उपाबंध 8"

(नियम 6.1 (10)

अघोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत व्ययों की सूची

योजना का नाम

निवेश / व्यय

शीर्ष...

	दिनांक	विक्रेता / भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक कमांक	राशि

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– आवेदक इकाई का नाम व पता
सील
स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– नाम व पता
सील
चार्टर्ड एकाउन्टेंट का पंजीयन कमांक व दिनांक

निरीक्षण कर्त्ता अधिकारी का नाम व पद

टीप:– 1– सूची तिथिवार व मदवार होना चाहिये ।

3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।

4– प्रत्येक निवेश / व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, भूमि विकास, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि

5– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

"उपाबंध–9"

(नियम 6.3)

अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य **अघोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान** नियम 2004 के नियम कमांक "6.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– अनुमोदित अघोसंरचना लागत/ अनुमोदित सकल पूंजी निवेश –

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(9068)– औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान
13– आर्थिक सहायता
001– प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

या

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(5382)– अघोसंरचनात्मक सहायता अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)
004– अघोसंरचना अनुदान (आयोजना)

यह स्वीकृति जिला / राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक.................. में लिये गये निर्णय के अनुरूप है

महाप्रबंधक /उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

"उपाबंध 10"
(नियम 6.1 (15)
प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विक्रय कर भुगतान बाबत प्रमाण पत्र

1– औद्योगिक इकाई ....
जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक................ है तथा प्रांतीय वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक............................ दिनांक........................ एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... है ने निम्नानुसार वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर राशि का भुगतान दिनांक................ से...................... तक वाणिज्यिक कर विभाग को किया है :

क्रमांक	विवरण	प्रांतीय वाणिज्यिक कर	केन्द्रीय विक्रय कर	योग
1	2	3	4	5
1	निर्मित उत्पाद पर			
2	कच्चेमाल पर			
3	आनुषांगिक माल पर			
4	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल पर			
5	डीजल तथा पेट्रोल			
6	वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद			
7	अन्य			

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल, वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद एवं औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित माल / प्रयुक्त कच्चा माल व अन्य माल जिस पर औद्योगिक इकाई केता/ उपभोगता को दिये गये सेटऑफ / समायोजन एवं **(यदि वैट अधिनियम लागू होता है)** वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी के दावों को कम करते हुए कटौती के उपरांत राज्य में शुद्ध रूप से प्राप्त वाणिज्यिक कर राशि रू0 .... व केन्द्रीय विक्रय कर की राशि रू0.................. है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अन्य कोई देय राशियां भुगतान हेतु शेष नही है ।

वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी
वाणिज्यिक कर अधिकारी / उपायुक्त का नाम
पद व सील

"उपाबंध–11"

(नियम 6.3)

अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक के अधीन)

उद्योग संचालनालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन पंजीयन कमांक...................... और केन्द्रीय विकय कर अधिनियम 1956 के अधीन पंजीयन कमांक .... तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से पंजीयन कमांक............... / उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक ....को धारण करने वाली औद्योगिक इकाई .... जिसने छत्तीसगढ़ के.................. जिले में .... (स्थान) पर स्थित नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की है /विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है, और उक्त अधिसूचना के अधीन "अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" दिनांक .... से .... तक प्राप्त करने के लिये पात्र है

2– नवीन औद्योगिक इकाई की मूल स्थापित क्षमता /विद्यमान औद्योगिक इकाई की विस्तारित स्थापित क्षमता निम्नानुसार है

1– ....

2– ....

3– ....

3– औद्योगिक इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .... है तथा वाणिज्यिक उतपादन प्रारंभ करने के दिनांक तक अधोसंरचना लागत में रू0............... अक्षरी रू0 .... एवं स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत रू0................... अक्षरी रू0.......................... का तथा कुल सकल पूंजी निवेश रू0 ....किया गया है

4– औद्योगिक इकाई को परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक................ तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से .... अवधि में किये गये अधोसंरचना लागत / स्थायी पूंजी निवेश पर .... प्रतिशत की दर से अथवा .... अवधि हेतु राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी प्रांतीय वाणिज्यिक कर की राशि एवं केन्द्रीय विकय कर की राशि जो न्यूनतम हो, के अर्न्तगत रू0 .... अक्षरी रू0.......................के अनुदान की पात्रता है

5– अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान नियम कमांक .... के अधीन .... वर्षो में किया जाना है अतः निम्नानुसार स्वीकृत राशि के संबंध में अनुदान समायोजना पात्रता प्रमाण पत्र एतद द्वारा जारी किया जाता है

कमांक	वित्तीय वर्ष	निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान	प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विकय कर भुगतान की राशि	स्वीकृत अनुदान

6– नवीन औद्योगिक इकाई / विद्यमान औद्योगिक इकाई में निम्न उत्पादों का विनिर्माण होगा।

नाम वार्षिक उत्पादन क्षमता

1– प्रमुख उत्पाद ....

2– उपोत्पाद ....

3– अवशिष्ट उत्पाद....................................

यह प्रमाण पत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक.................................. दिनांक .... के अनुकमांक............... में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अध्ययीन है और उनके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन होने की दशा में निरस्तीकरण किये जाने के भी अध्ययीन है ।

उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग
उद्योग संचायलनालय छत्तीसगढ़

"उपाबंध–12"

(नियम 4.1)

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीकाफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

"उपाबंध–13"

(नियम 6.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला................................

छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता... .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2004 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी)...................... .... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत

प्रतिनिधि

सील

प्रति,

मेसर्स..

....

....

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 37-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	केसला प. ह. नं. 52	11.93	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्यनहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 38-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रसोटा प. ह. नं. 52	3.74	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वित[illegible]ण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय [illegible]रण के अंतर्गत मुख्यनहर नि[illegible] हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानु[illegible],
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/5913/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कुमरदा प.ह.नं. 61	11.278	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के कुमरदा लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/5914/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आमगांव प.ह.नं. 60	12.020	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के आमगांव लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/5915/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित डुबान क्षेत्र में प्रभावित आबादी/बस्ती, मकानात, कोठार/बाड़ी, कुँआ आदि संपत्ति की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त आबादी/बस्ती के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

डुबान क्षेत्र में प्रभावित आबादी बस्ती का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग मकानात आदि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अम्बागढ़ चौकी	पोसवार प.ह.नं. 55	ग्राम पोसतार आबादी स्थित 68 मकान मालिकों के मकानात/कोठार/बाड़ी/कुंआ/आदि सम्पत्ति.	कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजनांतर्गत प्रभावित डुबान-क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक 6045/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	जोशीलमती प.ह.नं. 55	38.653	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के डुबान (निर्माण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक 6046/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	दर्तेरंगटोला प.ह.नं. 55	11.527	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के डुबान (निर्माण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक 6047/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कोलियारी प.ह.नं. 56	0.873	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के डुबान (निर्माण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक 6048/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	लूलीकसा प.ह.नं...54	3.021	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के डुबान (निर्माण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 6323/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	तुमड़ीलेवा प.ह.नं. 59	2.443	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के तुमड़ीलेवा लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 6324/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सोमाझिटिया प.ह.नं. 59	3.360	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के सोमाझिटिया लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 6325/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भेजराटोला प.ह.नं. 63	5.194	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के भेजराटोला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 6326/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिरचारीखुर्द प.ह.नं. 59	7.452	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1166/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नही होगें क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	निकुम प.ह.नं. 23	1.33	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदी-पाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत निकुम सब माइनर क्र. 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1172/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रूहा	0.40	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छत्तीसगढ़.	रूहा जलाशय हेतु बांधपार में अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1175/प्र.-1./भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रूहा	2.89	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छत्तीसगढ़.	रूहा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1178/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बासीन	30.54	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छत्तीसगढ़.	करंजा भिलाई जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1181/ले. प./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खिलौराकला	0.94	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. निर्माण संभाग, रायपुर.	आमनेर नदी सतु पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1184/प्रा.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खिलौराकला	0.77	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छत्तीसगढ़.	रूहा जालाशय हेतु नहर नाली में अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1187/ले. पां./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खिलौरा खुर्द	0.37	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. से. निर्माण संभाग, रायपुर.	आमनेर नदी पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	इरपा प.ह.नं. 11	0.07	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारी-करण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	गुर्राम प.ह.नं. 67	1.13	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारी-करण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/33/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मेटावाड़ा प.ह.नं. 73	1.92	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/34/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़े आरापुर प.ह.नं. 66	2.59	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/35/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मवलीभाटा प.ह.नं. 67	8.54	अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन, गीदम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 9/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.571 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.688
74	0.825
217/1	0.910
76	0.154
79	0.024
75	0.405
220	0.243
217/2	0.910
66	0.324
71	0.737
67	1.753
68	0.287
70	0.146
73	0.040

	(1)	(2)
	218	0.125
योग	16	7.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अंधियारखोह जलाशय डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक 5917/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-नांदिया, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.350 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	198/2	0.202
	197	0.051
	199	0.144
	200	0.212
	143	0.165
	201	0.057
	202	0.352
	195	0.012
	190	0.057
	189	0.064
	185	0.116
	156/11	0.008
	156/8	0.012
	156/12	0.036
	184/2	0.032
	156/6	0.048
	156/2	0.184
	154	0.129
	155	0.012
	65/2	0.038
	142	0.070
	137	0.025
	125/1	0.012
	134/1	0.052
	134/2	0.024
	133/1	0.024
	165/1	0.096
	440	0.012
	62/2	0.024
	63	0.020
	56	0.144
	127/1, 2, 3	0.151
	441/1	0.140
	441/2	0.132
	441/3	0.185
	338/3	0.044
	338/4	0.044
	446/1	0.032
	446/2	0.016
	444	0.076
	126	0.088
	439	0.008
योग	42	3.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के नांदिया माइनर नहर निर्माण हेतु. (नांदिया)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़ दिनांक 8 जून 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334/2	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतरा उप-केन्द्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1151/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-रिसामा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.71
6	0.26
11	0.21
46	0.37
361	2.00
4	0.60
7	0.11
12	0.27
47, 337, 338	1.10
5	0.36
8, 9, 10	0.35
45	0.30
333/2	0.40
योग	7.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जंजगिरी डायवर्सन हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1154/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-जंजगिरी, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
881	0.20
892	0.45
891/1	0.55
891/2	0.55
योग	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जंजगिरी डायवर्सन हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1157/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-लिटिया, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
642/1	0.20
1058/2	0.13
1049/4	0.15
1051	0.38
1062/4	0.20
1052	0.08
1055	0.05
1080	0.26
1018	0.34
1062/1	0.16
1062/3	0.03
1058/1	0.13
1075	0.12
1059	0.22
1101	0.05
1066	0.41
1849/3	0.15
1103/1	0.05
1103/2	0.05
1058/3	0.15
1103/3	0.04
1079	0.10
1100	0.26
1089	0.81
योग	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमा खुर्द जला. क्र. 1 हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1160/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-उरला, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.661 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
685/2	0.048
696/2	0.040
700/1	0.040
742/1	0.044
697	0.348
685/3	0.048
698	0.020
740	0.048
742/2	0.036
723	0.565
685/5	0.068
699	0.036
751/2	0.020
731	0.300
योग	1.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उद्वहन सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अगस्त 2005

क्रमांक 1163/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-पऊवारा, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
379/2	0.02
382	0.40
424	0.08
417/1	0.06
428, 418	0.05
426	0.20
433, 435	1.06
375	0.02
380	0.04
389, 423	0.17
413, 420	0.19
417/2	0.06
419, 425, 429	0.23
427	0.03
432, 434	0.80
381	0.04
390	0.10
422, 440	0.48
417/3	0.06
421	0.03
430	0.20
376	0.02
योग	4.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जंजगिरी डाय-वर्सन हेतु भूमि-अर्जन

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, (खनिज शाखा) रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2005

क्रमांक क/ख.लि./खुघो/2005.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं (2)	तहसील (3)	ख.नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
बासीन	7	राजिम	1172	0.70 एकड़ शासकीय घास भूमि.	श्री चिमन लाल साहू आ. श्री धुरराम साहू निवासी नयापारा राजिम के नाम पर ग्राम बासीन खसरा नंबर 1172 रकबा 0.70 एकड़ क्षेत्र पर चूना-पत्थर उत्खनिपट्टा 10-3-2000 से 9-3-2005 तक पट्टा स्वीकृत था. पट्टा अवधि समाप्त हो चुका है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर